मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 79/2024 वादपत्र धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट.

1–चुन्नीलाल पिता श्री शंकर जाति डांगी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी
2–डालुराम पिता श्री शंकर जाति डांगी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी
3–मगनीराम पिता श्री शंकर जाति डांगी रतनपुर तहसील बडीसादडी
4–रम्भाबाई पत्नी श्री शंकर जाति डांगी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी
5–रामलाल पिता श्री शंकर जाति डांगी निवारी रतनपुर तहसील बडीसादडी
6–लालूराम पिता श्री शंकर जाति डांगी रतनपुर तहसील बडीसादडी

—वादीगण

बनाम

1– कैलाशचन्द्र पिता श्री राधेश्याम जाति डांगी निवासी, रतनपुर तहसील बडीसादडी
2– भरतलाल पिता श्री राधेश्याम जाति डांगी निवासी, रतनपुर तहसील बडीसादडी
3– वरदा पिता श्री हेमा जाति डांगी, निवासी रतनपुर, बडीसादडी
4– तहसीलदार भूमीधारी बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से वकील श्री जी.एस. झाला तथा प्रतिवादीगण ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा रतनपुर पटवार हल्का पिण्ड की आराजी नम्बर वादीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 293 रकबा 0.88 हैक्टेयर में प्रतिवादी क्रंमाक एक व दो कैलाश , भरत पिता राधेश्याम डांगी का 0.44 हैक्टेयर से तथा 0.25 हैक्टेयर से प्रतिवादी वरदा पिता हेमा का अवैध अतिक्रमण हटाया जाकर आराजी की विधिवत नपति की जाकर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी संख्या 11, 24, 25, 27, 29, 293, 31/573, 4, 41, 42 कुल किता 10 रकबा 4.2400 हेक्टेयर भूमि में दखल अन्दाजी न करे न करावे ।

इस वाद के खर्चे....X.. प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित....X. को दी जावे।
यह आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/१५७ दिनांक : 28/08/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को [illegible] लेख है कि आदेशानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:16:06 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 79/2024 ई.रे.

1–चुन्नीलाल पिता श्री शंकर जाति डांगी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी
2–डालुराम पिता श्री शंकर जाति डांगी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी
3–मगनीराम पिता श्री शंकर जाति डांगी रतनपुर तहसील बडीसादडी
4–रम्भाबाई पत्नी श्री शंकर जाति डांगी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी
5–रामलाल पिता श्री शंकर जाति डांगी निवारी रतनपुर तहसील बडीसादडी
6–लालूराम पिता श्री शंकर जाति डांगी रतनपुर तहसील बडीसादडी

—वादीगण

बनाम

1– कैलाशचन्द्र पिता श्री राधेश्याम जाति डांगी निवासी, रतनपुर तहसील बडीसादडी
2– भरतलाल पिता श्री राधेश्याम जाति डांगी निवासी, रतनपुर तहसील बडीसादडी
3– वरदा पिता श्री हेमा जाति डांगी, निवासी रतनपुर बडीसादडी
4– तहसीलदार भूमीधारी बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 183, 188 रा0टै0एक्ट

// निर्णय // दिनांक :– 28/08/2025

वादीगण की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा रतनपुर पटवार हल्का पीण्ड तहसील बडीसादडी में खाता संख्या 50 की आराजी संख्या 11, 24, 25, 27, 29, 293, 31/573, 4, 41, 42 कुल किता 10 रकबा 4.2400 हेक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में आराजी नम्बर 293 रकबा 0.88 हैक्टेयर के पास ही प्रतिवादीगण की आराजीयात 292, 294, 295 व अन्य आराजीयात स्थित होकर पर वर्ष 2022 से पिछले दो वर्ष से प्रतिवादीगण क्रमांक एक लगायत तीन व उनके परीजन वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात पर दखल अन्दाजी कर जबरन आराजी के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण करने व कब्जा करने का प्रयास करते व तथा वादीगण को कहते की तुम्हारी जमीन की सीमा यहॉ नही है। जबकि वादीगण के द्वारा समझाने पर की जंहा पर प्रतिवादीगण अपनी जमीन बता रहा है वह वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है परन्तु प्रतिवादीगण नहीं मान वादीगण की कब्जेयाबी की आराजी में अतिक्रमण का प्रयास करते तथा समझाने पर भी नही मानते। प्रतिवादीगण क्रमाक एक लगायत तीन द्वारा सीमा विवाद करने व प्रतिवादीगण क्रमाक एक लगायत तीन वादीगण की आराजीयात कि कुछ हिस्से को हॉक कर अपनी आराजी में मिलाने का प्रयास किया तथा जबरन फसल की बुवाई भी कर दी तब वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र पत्थरघडी बाबत प्रस्तुत किया ताकि सीमा विवाद समाप्त हो [illegible] प्रतिवादीगण का भ्रम दूर हो सके उक्त पत्थरघडी का प्रार्थनापत्र जिसके क्रमाक 69/23 [illegible] करने का आदेश हुआ जिस पर तहसीलदार बडीसादडी व उसके अधिनस्थ कर्मचारी [illegible] पटवार हल्का व गिरदावर द्वारा मौतबीरान की मौजूदगी में आराजी नम्बर 293 रकबा 0.88 हैक्टेयर की पत्थरघडी की गयी। न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:16:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

आदेश के अनुक्रम में दिनांक 03/06/24 को मौके पर जाकर पक्षकारान को सूचित किया व वादीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 293 रकबा 0.88 हैक्टयेर की नपती की जाकर पटवारी पटवार हल्का, व मौतबीरान की मौजुदगी में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा विवादित आराजीयात की पत्थरघडी की गयी। तो आराजी नम्बर 293 के 0.44 हैक्टेयर हिस्से पर प्रतिवादी क्रमाक एक व दो कैलाश, भरत पिता राधेश्याम डांगी का अतिक्रमण पाया गया। तथा 0.25 हैक्टेयर पर प्रतिवादी वरदा पिता हेमा का अतिक्रमण पाया गया। वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर जो पत्थरघडी की गयी जिस पर प्रतिवादीगण क्रमाक एक दो व तीन का अतिक्रमण पाया गया तथा उनको पत्थरघडी के बाद कब्जा हटाने को कहा गया तो प्रतिवादीगण नही मान विवाद करने लगे तब पटवारी पटवार हल्का द्वारा पर्चा मौका बनाया गया तथा प्रतिवादी क्रमाक एक लगायत तीन उक्त आराजी पर जबरन लठ के बल पर अतिक्रमी की हैसीयत से काबिज है। जिनका उनको कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी क्रमाक एक लगायत तीन वादीगण के हक हिस्से व खातेदारी की आराजीयात में दखल अन्दाजी कर जबरन अवैध तरिके से कब्जा कर अतिक्रमी की हैसीयत से काबिज है जिसका उनको कोई हक व अधिकार नहीं है उक्त आराजी वादीगण के खातेदारी की होकर वादी प्रतिवादी क्रमाक एक लगायत तीन को स्थाई निषधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है। तथा उक्त आराजी का कब्जा पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादीगण की प्रार्थना है कि –

वादीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 293 रकबा 0.88 हैक्टेयर में प्रतिवादी क्रमाक एक व दो कैलाश , भरत पिता राधेश्याम डांगी का 0.44 हैक्टेयर से तथा 0.25 हैक्टेयर से प्रतिवादी वरदा पिता हेमा का अवैध अतिक्रमण हटाया जाकर आराजी की विधिवत नपति की जाकर जो अतिक्रमण किये हुए हैं उस आराजी के भाग का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे। वादीगण का वाद स्वीकार फरमाकर वादीगण को आराजीयात पर कब्जा पूनः वादीगण को सुपुर्द कराये जाने की डिक्री सादीर फरमाई जावे। तथा प्रतिवादी क्रमाक एक लगायत तीन को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे की वह वाद पत्र की चरण सख्यां एक में वर्णित वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी में दखल अन्दाजी न करे न करावे।

प्रकरण वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई । साक्ष्यवादी में वादी चुन्नीलाल, रामलाल, डालचंद के शपथ पत्र पेश हुये। उनके बयान लेखवद्ध किये गये। तथा प्रदर्श अंकित किये गये।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा रतनपुर पटवार हल्का पिण्ड की आराजी नम्बर वादीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 293 रकबा 0.88 हैक्टेयर में प्रतिवादी क्रमाक एक व दो कैलाश , भरत पिता राधेश्याम डांगी का 0.44 हैक्टेयर से तथा 0.25 हैक्टेयर से प्रतिवादी वरदा पिता हेमा का अवैध अतिक्रमण हटाया जाकर आराजी की विधिवत नपति की जाकर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी संख्या 11, 24, 25, 27, 29, 293, 31/573, 4, 41, 42 कुल किता 10 रकबा 4.2400 हेक्टेयर भूमि में दखल अन्दाजी न करे न करावे । इसी अनुसार अंतिम डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 28/08/2025 को सरे इजलास लिखाया [illegible]ले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:16:06 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी